

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित) MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM AND COMMUNICATION (Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक/अका./2022/ 4292

भोपाल, दिनांक 🚺 .11.2022

आदेश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा रैगिंग के संबंध में जारी "उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैंगिंग निषेध 2009 अधिनियम" के आधार पर उच्च शिक्षा संस्थानों में रैंगिंग की रोकथाम के लिए विश्वविद्यालय में निम्नानुसार रैगिंग रोधी दस्ते (एंटी रैगिंग स्कवेड) का गठन किया जाता है।

- 1. विभागाध्यक्ष, विज्ञापन एवं जनसम्पर्क
- 2. विभागाध्यक्ष, जनसंचार
- 3. विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अनुप्रयोग
- 4. विभागाध्यक्ष, नवीन मीडिया प्रौद्योगिकी

(वरिष्ठ स्तर से अनुमोदित)

आदेशानुसार

(प्रो. डॉ. अविनाश वाजपेयी) प्रभारी कुलसचिव

भोपाल, दिनांक 1D.11.2022

पृ. कं./अका./2022/ **५२***9* ४ प्रतिलिपि:-

- 1. निज सचिव कुलपति, निज सहायक कुलसचिव को सूचनार्थ।
- 2. समस्त विभागाध्यक्ष शैक्षणिक को सूचनार्थ।
- 3. संबंधित......को सूचनार्थ।
- 4. परिसर प्रभारी खंडवा/रीवा/दितया को सूचनार्थ।
- 🥌 प्रभारी वेबसाईट को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
 - 6. आदेश पुस्तिका।

(प्रो. डॉ. अविनाश वाजपेयी)

अप्रभारी कुलसचिव